



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122021-231950
CG-DL-E-17122021-231950

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4907]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 17, 2021/अग्रहायण 26, 1943

No. 4907]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 17, 2021/AGRAHAYANA 26, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5298(अ).—केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित व्यक्ति को उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्र की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करती है अर्थात :-

अनुसूची

क्र. सं.	पाइपलाइन का नाम	प्राधिकारी का नाम पद एवं पता	क्षेत्राधिकार
	(1)	(2)	(3)
1	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बठिण्डा — संगरूर पाइपलाइन रमनमण्डी — बठिण्डा पाइपलाइन रमनमण्डी — बहादूरगढ़ पाइपलाइन	श्री अनिल कुमार गर्ग, पी.सी.एस. (निवृत्त) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बठिण्डा रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय, अर्बन एस्टेट, फेस -II, पार्ट-II, बठिण्डा-151 001	पंजाब राज्य

2. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर-12042(11)/23/2021-ओआर-II/ई-40547]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th December, 2021

S.O. 5298(E).—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby Authorizes the person mentioned in column (2) of the Schedule given below to perform the functions of the Competent Authority under the said Act, in respect of the areas mentioned in column (3) of the said Schedule namely:-

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Pipeline	Name Designation and Address of the Authority	Area of Jurisdiction
	(1)	(2)	(3)
1	HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD. Bathinda - Sangrur Pipeline Ramanmandi – Bathinda Pipeline Ramanmandi- Bahadurgadh Pipeline	Shri. Anil Kumar Garg P.C.S. (Retired) M/s. Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bathinda Retail Regional Office, Urban Estate, Phase – II, Part – II, Bathinda – 151 001	Punjab State

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. R-12042(11)/23/2021-OR-II/E-40547]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.